कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 5256 / सांख्य लिपिक / 2025 जांजगीर, दिनांक 30.05.2025

पुलिस अधीक्षक जांजगीर–चांपा द्वारा मुझे संसूचित किया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों में अपराध घटित करने की नियत से स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते हैं। जिससे नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ–साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय का वातावरण बना रहता है।

यह भी ज्ञात हुआ है कि शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किराएदारों, घरेलू नौकरों के संबंध में सत्यापन हेतु आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षड्यंत्रों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः यह आवश्यक हैं कि नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा, शांति एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालिक तौर पर मकान मालिकों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा किराये पर भवन देने व मकान लेने के पूर्व तथा पूर्व से ही किराएदार के रूप में रह रहे व्यक्तियों का पूर्ण विवरण निकटतम थाना प्रभारियों को दे।

एतद् द्वारा मैं जन्मेजय महोबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जांजगीर–चांपा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ –

01. सभी मकान मालिकों के लिए किराएदारों की सूचना देना अनिवार्य है।
02. कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नहीं देंगे, जब तक किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देंते।
03. संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिये बगैर कोई व्यक्ति / प्रतिष्ठान भवन किराए पर दे या ले नहीं सकेगा।
04. आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो व्यक्ति किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनके मकान मालिक भी थाना प्रभारी को किराएदारों के संबंध में तत्काल सूचित करेंगे।
05. किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर न दिया जाए।
06. सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान क्रमांक सभी मंकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे।
07. किराएदार द्वारा अथवा उनके यहां पर किसी भी आगन्तुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना / चौकी में देंगे।
08. यह आदेश जनहित में नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि जनता एवं सभी पक्षों को सूचना दी जावे।

अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय जारी किया जाता हैं।

09. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

10. यह आदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश की जन संसूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों में दी जावे। आदेश की प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड, संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा कर दिया जावें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं जारी दिनांक से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशील होगा।

आज दिनांक 30 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से प्रसारित किया गया ।

कलेक्टर 30/5/25

एवं जिला दण्डाधिकारी

जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/5257/सांख्य लिपिक/2025 जांजगीर, दिनांक 30.05.2025

प्रतिलिपि –

01. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
02. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर।
03. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर।
04. पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर–चांपा।
05. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर–चांपा।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा।
07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) जिला जांजगीर–चांपा।
08. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर–चांपा।
09. सर्व तहसीलदार, जिला जांजगीर–चांपा।
10. सर्व थाना प्रभारी, जिला जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
12. उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, आप स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करे।

कलेक्टर 30/5/25

एवं जिला दण्डाधिकारी

जांजगीर–चांपा (छ.ग.)